हुक्म तामील नंबर व तारीख

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 1780/2015
दायरा तिथि 16.09.2015
निर्णय तिथि 20.06.2017

वादी– **बनामः**
रिखबा पुत्र वनाजी जाति खटीक
निवासी कोसेलाव तहसील सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

प्रतिवादीगण–
1–स्व.जवानमल पुत्र देवाजी के का.मु.–
स्व.दुदाराम पुत्र स्व.जवानमलजी के का.मु.–
1/1–गुणेशमल पुत्र स्व.दुदारामजी
1/2–जगदीशकुमार पुत्र स्व.दुदारामजी
1/3–श्रवणकुमार पुत्र स्व.दुदारामजी
1/4–सुरेशकुमार पुत्र स्व.दुदारामजी
1/5–पांचीबाई पत्नी स्व.दुदारामजी
2–स्व.चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल पुत्र
स्व.जवानमलजी के का.मु.–
2/1–मोतीलाल पुत्र स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/2–लिकु पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/3–इन्द्रा पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/4–सुशीला पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/5–गुडिया पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/6–रेखा पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/7–अनु पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
2/8–सोवनी पुत्री स्व.चुनारामजी उर्फ चुन्नीलालजी
3–वोराराम उर्फ वोरीलाल पुत्र स्व.जवानमलजी
तमाम जाति खटीक निवासी बिसलपुर
तहसील बाली जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 20.06.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव में बरोज आज पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना के अनुरूप वादी मय अधिवक्ता की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा कतिपय प्रावधानों के तहत यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

है कि सरहद मौजा कोसेलाव, पटवार सर्कल कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने खसरा नं. 197 रकबा 14)16 बीघा किस्म जवाई नहरी दोयम जवान पुत्र देवा, दुदा, चेना, वोरीया पि.जवाननल जाति खटीक निवासी बिसलपुर की खातेदारी आयी हुई थी जिस भूमि के हाल सेटलमेंट संवत् 2037 के बाद नये खसरा नं. 540 रकबा 2.34 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय बने जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में जवाना वल्द देवा, दुदा, चुन्नीलाल, वोराराम पि.जवाना कौम खटीक निवासी बिसलपुर के नाम दर्ज है। जवाना उर्फ जवाननल, दुदा, चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल का देहान्त हो चुका है जिस कारण उनके कायम मुकाम को पक्षकार बनाया गया ह व वोराराम वर्तमान में जीवित है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा वादी द्वारा तत्समय राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादीगण के पूर्वज व प्रतिवादी सं.03 से पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.08.1979 द्वारा खरीद की गई थी व 1/3 हिस्से पर वादी को कब्जा सुपुर्द किया था तब से आज तक उक्त 1/3 हिस्से की भूमि पर वादी का बहैसियत खातेदार के शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त खरीद सुदा व कब्जे काश्त की 1/3 हिस्सा भूमि को पटवारी हल्का कोसेलाव द्वारा राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं किए जाने से और राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज रहने से वादी की खरीद सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी हिस्सा भूमि को प्रतिवादीगण द्वारा अन्यत्र भू–माफियों को बैचान/हस्तान्तरण करने एवं वादी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार व डिक्री किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, साथ ही वादी को उनकी उक्त घोषित सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी हिस्सा भूमि पर से प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से बेदखल या दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे एवं ना ही अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण करे, इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के पारित करावे। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.08.1979, जमाबंदी संवत् 2027–30, मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत् 2068–71 की प्रमाणित छाया प्रतियां पेश की है।

(2) कि इस आयोजित राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से प्रश्नगत् मामले में पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 16.08.1979, जमाबंदी संवत् 2027–30, मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत् 2068–71 की प्रमाणित छाया प्रतियां एवं भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव की जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण करने के फलस्वरूप कथित वादपत्र में वादी द्वारा अभिव्यक्त किए गये कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है और इस आधारित हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में वर्णित वादग्रस्त हिस्सा भूमि के बारे में वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत होने से इसे स्वीकार एवं डिक्री किया जाना कानूनन उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर सरहद मौजा कोसेलाव, पटवार सर्कल कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर में स्थित हाल खसरा नं. 540 रकबा 2.34 हेक्टर किस्म जवाई नहरी द्वितीय के बारे में 1/3 हिस्से का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, साथ ही वादी को उनकी उक्त घोषित सुदा कब्जे काश्त की खातेदारी हिस्सा भूमि से प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से बेदखल या दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करे एवं ना ही अन्यत्र बैचान/हस्तान्तरण करे, इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी की जाती है। माफिक निर्णय, डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 20.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–कोसेलाव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner